न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर (द्वितीय)

पीठासीन अधिकारी : श्री विष्णु कुमार गोयल–प्रथम(आर.ए.एस)

वाद संख्या – 25/2018

उनवान

1. श्रीमती कानी देवी पत्नि रामलाल
2. श्रीकिसन | पुत्रान् रामलाल,
3. बदरी नारायण | जाति बैरवा, निवासियान् पालड़ी मीणा,
4. प्रेमचन्द | तहसील सांगानेर,
5. रामोवतार | जिला जयपुर
6. महेन्द्र |

– वादीगण –

बनाम

1. नाथी देवी बेवा नारायण लाल, निवासी पालड़ी मीणा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
2. रमेश चन्द्र पुत्र नारायण लाल, जाति बैरवा, वरिष्ठ लिपिक, राजकीय मुद्रणालय कर्मचारी, जयपुर।
3. हरजीतराज पुत्र नारायण लाल, जाति बैरवा, राजकीय मुद्रणालय कर्मचारी, जयपुर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

– प्रतिवादीगण –

दावा अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी एक्ट बाबत् बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय

दिनांक : 19.01.2021

निर्णय

[illegible] यह है कि वादीगण की ओर से विरूद्ध प्रतिवादीगण ग्राम पालड़ी मीणा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में मुताबिक आराजी खसरा नम्बर 507 रकबा 0.1800 [illegible] 0.5100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 505 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, खसरा [illegible] रकबा 1.0000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 504 रकबा 0.3000 [illegible] गैर मुमकीन [illegible] 0.0100 भूमि जो हैक्टेयर भूमि जिमसें जाव 10.500, चाही [illegible] राजस्व रिकार्ड कि पूर्वज नारायण व रामलाल पिसरान् रामसुख कौम बैरवा [illegible] 2053 लगायत 2056 में अंकित है, हेतु दिनांक 06.07.2005 को दावा प्रस्तुत किया गया।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2021.07.30 14:09:13 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

यह है कि वादीगण द्वारा दिनांक 05 जून 2005 को प्रतिवादीगण को निवेदन किया गया कि भूमि का बंटवारा इस कदर कर लिया जाये जिससे जयपुर आगरा नेशनल हाईवे नम्बर 11 की चौड़ाई होने पर वादीगण व प्रतिवादीगण को भूमि समान रूप से मिल सकें। भूमि वादग्रस्त संयुक्त खातेदारी की पैतृक कृषि सम्पत्ति है जिसमें वादीगण व प्रतिवादीगण का समान हित निहित है भूमि पर कूएँ में लगी बिजली दोनों भाईयों के नाम है। दिनांक 05.06.2005 को प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 द्वारा यह कहने पर कि हम तो आराजी खसरा नम्बर 504 ही रखेगें एवं आराजी खसरा नम्बर 506 व 507 की भूमि अगर सड़क सीमा में जाती है तो उससे हमकों कोई लेना देना नही है। इस तरह उनके उपरोक्त भूमियों के बंटवारे हेतु इन्कार करने पर इस दावे का बिनाएवाद उत्पन्न होकर दिनांक 05.06.2005 से निरन्तर बना हुआ है एवं अब न्यायालय की दखल से भूमि का बंटवारा एवं पृथक-पृथक लगान निर्धारण कराना आवश्यक हो गया है।

यह कि वादीगण ने वाद में आराजी खसरा नम्बर 507, 505, 506, 504 की भूमि का मौके पर हिस्सेनुसार विभाजन कर लगान का निर्धारण भी पृथक से चाहा गया है।

यह है कि न्यायालय में दौराने नियत सुनवाई दिनांक 22.02.2011 को वादीगण व प्रतिवादीगण उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी. प्रस्तुत किया गया, जिसमें सभी पक्षकारों के प्रति हस्ताक्षर किये हुए है व साथ में एक नजरी नक्शा भी संलग्न किया गया। नक्शें के अनुसार अंकित बिन्दु संख्या 01 से 13 अनुसार राजीनामें की शर्तो का भी उल्लेख किया गया। सभी पक्षकारों द्वारा न्यायालय में उपस्थिति नही होन के कारण प्रस्तुत राजीनामा आगामी दिनांक 25.02.2011 लोक अदालत में आगामी कार्यवाही हेतु रखा गया।

यह कि दिनांक 25.02.2011 को सभी पक्षकार न्यायालय में अपने अधिवक्ताओं से साथ उपस्थित हुये व एक प्रार्थना पत्र बाबत् राजीनामा प्रार्थना पत्र दिनांक 22.02.2011 के साथ प्रस्तुत नक्शे के बजाय आज दिनांक 25.02.2011 को प्रस्तुत नक्शा अनुसार विभाजन करने हेतु प्रस्तुत किया गया। सभी पक्षकारों को प्रस्तुत राजीनामें व नक्शे के बारे में जानकारी दी गयी। उन्होने राजीनामें पर दस्तखत व अँगूठा निशानी लगाकर एवं मौखिक रूप से भी अपनी सहमति प्रदान की सभी पक्षकारों की पहचान उनके अधिवक्तागण द्वारा की गई।

यह कि प्रस्तुत राजीनामें के साथ नक्शे (दिनांक 25.02.2011) अनुसार पक्षकारों द्वारा विवादित भूमि का आपस में बंटवारा किये जाने का न्यायालय से निवेदन किया।

न्यायालय द्वारा पक्षकारों द्वारा लोकभावना से उत्प्रेरित होकर आपस में जो राजीनामा किया है, प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को व नजरी नक्शे में अंकित बिन्दुओं को

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2021.07.30 14:09:13 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिये जाते है कि मुताबिक राजीनामा प्राथमिक डिक्री/पर्चा जारी हो कि श्री किशन, बद्रीनारायण, प्रेमचन्द, रामअवतार, महेन्द्र कुमार व श्रीमती कानी का हिस्सा एन.एच. 11 पर 218 फुट नीला रंग, रमेश चन्द व श्रीमती नाथी देवी का हिस्सा एन.एच. 11 पर 112 फुट हरा रंग, हरजीतराज व श्रीमती नाथी देवी का हिस्सा एन.एच. 11 पर 192 फुट पीला रंग, श्रीकिशन, बद्रीनारायण, प्रेमचन्द, रामअवतार, महेन्द्र कुमार व श्रीमती कानी का हिस्सा एन.एच. 11 पर 86 फुट नीला रंग, जयपुर आगरा एन.एच. 11 से सम्पर्क सड़क पालड़ी मीणा जे.डी.ए. स्कीम बराबर हिस्सा शामलाती मुआवजा व अन्य सुविधाये 60 फुट रोड़। पालड़ी मीणा जे.डी.ए. सम्पर्क रोड़ से 10 फीट का कुऑ हेतु शामलाती रास्ता वादीगण एवं प्रतिवादी रमेश चन्द बेरवा। कुऑ का हिस्सा रमेश चन्द के हिस्से में सहमति से दिया गया। आगरा रोड़ से पालड़ी मीणा जे.डी.ए. सम्पर्क सड़क 60 फुट रोड़ के 1/2 में पर लगती कृषि भूमि के एवज में हरजीतराज को आगरा रोड़ एन.एच. 11 पर लम्बाई में 40 फुट फ्रन्ट रमेश चन्द के हिस्से में से, उपरोक्त भूमि के बटंवारे में भरा गया रंग अनुमानित दर्शाया गया हैं एन.एच. 11 व सम्पर्क सड़क का हिस्सा रंग अनुसार हिस्सेदारों का होगा। तहसीलदार सांगानेर से कुर्रेजात रिपोर्ट पक्षकारों के मध्य हुये राजीनामें, नक्शें अनुसार तीन प्रतियों में चाही गई।

दौराने सुनवायी दास्त पत्रावली दिनांक 03.11.2015 को पत्रावली माननीय राजस्व मण्डल अजमेर से प्राप्त होने पर पेश हुयी। माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर के निर्णय दिनांक 26.12.2012 के विरूद्व पेश अपील में पत्रावली माननीय राजस्व मण्डल अजमेर प्रेषित की गई थी। मानननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा दिनांक 28.008.2015 को पारित निर्णय में हस्तगत द्वितीय अपील अपीलार्थी सारहीन होने के कारण खारिज करते हुये माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.12.2012 व विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर द्वितीय जयपुर द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 25.02.2011 की पुष्टि की गयी।

प्रार्थीगण/वादीगण की ओर से एक प्रा.पत्र राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णयानुसार राजस्व रिकॉर्ड में बंटवारा अंकित करने के क्रम में पेश किया गया। तथा प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से प्रकरण में कार्यवाही ड्रॉप करने बाबत् प्रा.पत्र पेश किया गया।

वादीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत [illegible] 151 [illegible]पीसी बाबत् तलब किये जाने कुर्रेजात रिपोर्ट पेश किया। पत्रावली वास्ते नियत [illegible] सुनवाई उक्त प्रार्थना पत्र पर दिनांक 30.05.2016 को उभ[illegible] के अधिवक्तागण ने प्रकरण में पक्षकारान् में राजीनामा होना जाहिर करते हुये वास्ते पेश करने राजीनामा अवसर चाहा।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2021.07.30 14:09:13 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

पत्रावली नियत पेशी दिनांक 14.06.2016 को वास्ते सुनवाई लोक अदालत/कैम्प कोर्ट में पेश हुयी। उभयपक्ष के अधिवक्तागण मय पक्षकारान् उपस्थित आये। उभय पक्ष वादीगण 1 लगायत 6 एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 ने एक प्रार्थना पत्र बाबत् बंटवारे की डिक्री पारित करने के क्रम में पेश किया।

प्रार्थना पत्र में अंकित है कि न्यायालय द्वारा दिनांक 25.02.2011 को कुर्रेजात रिपोर्ट पक्षकारों के मध्य हुये राजीनामें नक्शें अनुसार बनाने हेतु तहरीर जारी की गई थी। किन्तु प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा अपील संख्या 150/2011/233 आर.टी.ए. 1955 उनवानी हरजीत बैरवा बनाम कानी देवी व अन्य प्रस्तुत कर दी गयी, जिसका निर्णय दिनांक 26.12.2012 को इस प्रकार हुया कि निर्णय दिनांक 25.02.2011 को यथावत रखा गया।

इसके पश्चात् द्वितीय अपील टी.ए./3629/2015 बउनवानी हरजीत राज बैरवा बनाम कानी देवी व अन्य प्रस्तुत की गयी जो दिनांक 28.08.2015 को इस आदेश के साथ निर्णीत हुयी कि राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर के निर्णय दिनांक 26.12.2012 एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 25.02.2011 न्यायालय सहायक कलक्टर द्वितीय के निर्णय की पुष्टि की जाती है। अन्त में प्रार्थना की गयीं है कि सभी पक्षकारान के मध्य अभी हाल में संलग्न नक्शे के अनुसार दिनांक 23.03.2016 को समझौता हो चुका है। लिहाजा उपरोक्त प्रकरण में अन्तिम डिकी उकत नक्शें दिनांक 23.03.2016 के अन्तर्गत पारित की जाकर प्रकरण का अन्तिम निपटारा किया जावें।

उभयपक्षकारान् की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत पारित किये जाने डिक्री के सन्दर्भ में पत्रावली का अवलोकन किया गया। जाहिर है कि दिनांक 25.02.2011 को न्यायालय हाजा द्वारा लोक भावना से पक्षकारान् द्वारा आपस में किये गये राजीनामा अनुसार प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व नजरी नक्शे के आधार मुताबिक राजीनामा प्रकरण में प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर इस आशय की तहरीर तहसीलदार सांगानेर को जारी की गयी थी कि कुर्रेजात रिपोर्ट पक्षकारों के मध्य हुये राजीनामें नक्शे अनुसार बनाये जाकर भिजवायें।

अपील संख्या 150/2011/233 आर.टी.एक्ट ब उनवानी हरजीत राज बैरवा बनाम कानी देवी व अन्य में माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर ने अपने निर्णय दिनांक 26.12.2012 में अपील अपीलार्थी अस्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय (न्यायालय हाजा) के निर्णय दिनांक 25.02.2011 [illegible] रखा।

द्वितीय अपील संख्या अपील/टी.ए./3629/20[illegible] जयपुर बउनवानी हरजीत राज बैरवा बनाम कानी देवी व [illegible] में माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने अपने निर्णय दिनांक 28 अगस्त 2015 में अपील अपीलार्थी सारहीन मानते हुये खारिज कर दी एवं माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर द्वारा

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2021.07.30 14:09:13 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

पारित निर्णय दिनांक 26.12.2012 व विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर, द्वितीय जयपुर द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 25.02.2011 की पुष्टि की।

इस प्रकार उपर्युक्त तथ्यों व उच्चतर राजस्व न्यायालयों के निर्णयों से इस न्यायालय के निर्णय डिक्री दिनांक 25.02.2011 आज भी प्रभावशील एवं विधिक रूप से प्रतिपादित अस्तित्व में है। उभयपक्ष ने भी इस तथ्य को अपने प्रार्थना पत्र में स्वीकार किया है। किन्तु इसके साथ ही उक्त वर्णित प्रार्थना पत्र नवीन राजीनामा व नक्शा दिनांक 23.03.2016 के मुताबिक प्रकरण को अन्तिम रूप से निस्तारित/डिक्री किये जाने बाबत पेश किया है जो कि पूर्व राजीनामा अनुसार जारी प्राथमिक डिक्री एवं अपील निर्णयों से विरोधाभासी प्रतीत होता है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हम यही विधि सम्मत एवं न्यायोचित हुये तहसीलदार सांगानेर को इस आशय की तहरीर जारी होवे की गयी कि निर्णय व डिक्री दिनांक 25.02.2011 की पालना में कुर्रेजात रिपोर्ट भिजवायें। साथ ही पक्षकारान् द्वारा दिनांक 14.06.2016 को प्रस्तुत नजरी नक्शा (दिनांक 23.03.2016) का यदि दिनांक 25.02.2011 के निर्णय एवं डिक्री से कोई विरोधाभास न हो तो नियमानुसार उक्त नक्शा विभाजन का वांछित कुर्रेजात रिपोर्ट में समायोजन करते हुये कुर्रेजात भिजवायें।

न्यायालय आदेश की पालना में तहसीलदार सांगानेर द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 25.02.2011 की अनुपालना में अपने पत्र क्रमांक/एलआर/16/4392 दिनांक 12.07.2016 के द्वारा प्रेषित की गई।

उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस तहसीलदार सांगानेर द्वारा प्रेषित कुर्रेजात रिपोर्ट क्रमांक/एलआर/16/4392 दिनांक 12.07.2016 जो कि न्यायालय में दिनांक 14.07.2016 को प्राप्त हुयी पर सुनी गई।

पत्रावली का मय कुर्रेजात रिपोर्ट एवं राजस्व रिकॉर्ड अवलोकन किया जाकर उभयपक्ष की बहस पर बगौर मनन किया गया। न्यायहित मुताबिक उक्त कुर्रेजात जो कि प्राथमिक डिक्री दिनांक 25.02.2011 के अनुसरण में प्राप्त हुयी है उसके मुताबिक वाद वादी अन्तिम रूप से डिक्री किया जाना उचित समझते है। अतः दावा वादीगण मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट इस प्रकार डिक्री किया जाता है। तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि वादग्रस्त आराजियात में राजकीय भूमि की सीमा को ध्यान में रखते हुये वादीगण एवं प्रतिवादीगण का अलग-अलग खाता व लगान कायम किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें। निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 25.02.2011 व तदनुसार कुर्रेजात रिपोर्ट इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। कुर्रेजात रिपोर्ट नक्शा ट्रेस इस निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। इस आशय की पर्चा डिक्री दिनांक 27.07.2016 को जारी की गई।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2021.07.30 14:09:13 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

तत्पश्चात उक्त आदेश के विरूद्व प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 ने अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध अंतिम निर्णय एवं डिक्री न्यायालय सहायक कलेक्टर, द्वितीय, जयपुर दिनांक 27.07.2016 वाद संख्या 24/2009, उनवानी कानी देवी वगै. बनाम नाथी देवी वगै. माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, जयपुर के समक्ष पेश की। माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी जयपुर ने उक्त अपील (संख्या 369/2017) को दिनांक 07.03.2018 में आंशिक स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 27.07.2016 को निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रेतिप्रेषित की कि तहसील से पक्षकारान् की उपस्थिति में राजीनामा दिनांक 25.02.2011 के अनुरूप कुर्रेजात तैयार करवा कर तद्नुसार अन्तिम डिक्री पारित की जावें।

न्यायालय आदेश की पालना में दावा पुनः दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार सांगानेर से माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर द्वारा अपील संख्या 369/2017 निर्णय दिनांक 07.03.2018 की अनुपालना में कुर्रेजात रिपोर्ट चाही गई। न्यायालय आदेश की अनुपालना में तहसीलदार सांगानेर द्वारा अपने पत्र क्रमांक/भू.अ. कलक्ट/कुर/19/5211 दिनांक 24.12.2019 को कुर्रेजात रिपोर्ट प्रेषित की गई जो निम्नानुसार है :–

क्र. सं.	नाम ग्राम व खाता	नाम खातेदार मय वल्दीयत	खसरा नंबर	रकबा	किस्म
1	पालडी मीणा खाता सं. 86	(1) नाथी पत्नी नारायण हि0 1/3 जाति बैरवा (2) रमेशचन्द पुत्र नारायण हिस्सा 2/3 जाति बैरवा सा.देह	504 506/3	0.02 0.14	जाव चाही
		योग	2	0.16	
	खाता सं. 135	(1) नाथी पत्नी नारायण हि0 1/3 जाति बैरवा (2) हरजीत राज पुत्र नारायण हि. 2/3 जाति बैरवा सा.देह	504/1 505 506/1 507/2	002 0.01 004 009	चाही 1 गै.मु. चाह चाही 1 चाही 1
		योग	04	0.16	
	खाता सं. 87	(1) नाथी पत्नी नारायण हि0 1/3 जाति बैरवा (2) प्रेमचन्द पुत्र रामला हि. 1/12 जाति बैरवा (3) बदरीनारायण पुत्र रामला हि. 1/12 जाति बैरवा (4) कानी पत्नी रामला हि. 1/12 जाति बैरवा (5)महेन्द्र कुमार पुत्र रामला हि. 1/12 जाति बैरवा (6)रमेशचन्द पुत्र नारायण हि. 3/16 जाति बैरवा	2	007	चाही 1 चाही 1 चाही 1 जाव 1

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2021.07.30 14:09:13 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

		(7)रामावतार पुत्र रामला हि. 1/12 जाति बैरवा (8)श्रीकिशन पुत्र रामला हि. 1/12 जाति बैरवा (9) हरजीत राज पुत्र नारायण हि.3/16 जाति बैरवा			
		योग	3	035	
	खाता सं. 119	(1)कानी पत्नी स्व.रामला हि. 1/6 जाति बैरवा (2) प्रेमचन्द पुत्र रामला हि. 1/6 जाति बैरवा (3) बदरीनारायण पुत्र रामला हि.1/6 जाति बैरवा (4)महेन्द्र कुमार पुत्र रामला हि. 1/6 जाति बैरवा (5)रामावतार पुत्र रामला हि. 1/6 जाति बैरवा (6)श्रीकिशन पुत्र रामला हि. 1/6 जाति बैरवा	504/3 506/2 506/4 507/1	019 001 010 003	चाही 1 जाव 1 चाही 1 जाव 1 जाव 1
		योग	4	033	

प्रस्तावित कुर्रेजात

क्र. सं.	नाम प्रस्तावित खातेदार मय वल्दीयत	खसरा नंबर	रकबा	किस्म
1	कानी देवी पत्नी स्व. रामला प्रेमचन्द बदरीनारायण महेन्द्र कुमार रामावतार श्रीकिशन पि.स्व. रामला हि.ब. कौम बैरवा सा.देह	504/3 506/7 507/1	0.2082 0.1006 0.0298	जाव 2 चाही 2 जाव 2 चाही 1 चाही 1 जाव
	योग	03	0.3386	
2	नाथी पत्नी स्व. नारायण हरजीत पुत्र नारायण हि.ब.कौम बैरवा सा.देह	506/1 507/2	0.703 0.986	जाव 1 चाह 1 जाव 1 चाह 1
	योग	02	0.1689	
3	नाथी देवी पत्नी स्व. नारायण रमेशचन्द पुत्र स्व. नारायण हि.ब. कौम बैरवा सा.देह	506/3 504 505	0.1131 0.0458 0.0100	चाही 1 जाव 1 जाव 1 चाही 1 गै.मु. चाह
	योग	3	0.1689	
4	नाथी पत्नी स्व. नारायण रमेशचन्द हरजीतराज पि. स्व. नारायण हि. 1/2 कानी देवी पत्नी स्व. रामला, श्रीकिशन प्रेमचन्द बद्रीनारायण रामावतार महेन्द्र कुमार पि. स्व.रामला हि. 1/2 कौम बैरवा सा.देह	507 506 506/4 506/6 [illegible]/5 504/[illegible] 504/1 506/2	0.0600 0.0700 0.0200 0.0772 [illegible]00 [illegible]500 0.0064 0.0100	चाही 1 जाव 1 चाही 1 जाव 1 चाही 1 जाव 1 जाव 1 जाव 1 जाव 1 चाही 1 जाव 1 चाही 1 जाव 1 चाही 1 चाही 1 जाव 1
	योग	08	0.3236	

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2021.07.30 14:09:13 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

के नियम 18 लगायत 21 में दी गई प्रक्रिया जो मेनडेटरी है के उल्लंघन स्वरूप प्रस्तुत की गई है जिससे वादीगण को सख्त एतराज है एवं उसे न्याय हित में निरस्त किया जाना आवश्यक होने से निरस्त किया जावें।

वादी द्वारा दिनांक को एक प्रार्थना पत्र बाबत् मौका रिपोर्ट मंगवाये जाने बाबत् प्रस्तुत किया। जिसकी प्रति वकील प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को दिलाई गई। प्रार्थना पत्र पर बहस वकील उभयपक्ष सुनी गई। बहस सुनी जाकर प्रार्थना पत्र का मय पत्रावली अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस स्टेज पर पोषणीय नही है। अतः प्रार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत् मौका रिपोर्ट मंगवाये जाने सारहीन होने से, खारिज किया जाता है।

वकील अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने आपत्ति कुर्रेजात रिपोर्ट पर बहस न कर सीधे बहस हेतु निवेदन किया। बहस आपत्ति कुर्रेजात रिपोर्ट पर वकील उभयपक्ष सुनी गई। बहस सुनी जाकर पत्रावली का मय दस्तवेजात व कुर्रेजात रिपोर्ट अवलोकन किया गया। प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी जयपुर के अपील (संख्या 369/2017) निर्णय दिनांक 07.03.2018 के अनुरूप तैयार की गई है। जिसमें वादी द्वारा उठाऐ गए उर्ज पूर्व में ही अपीलों में निस्तारित किए जा चुके है। इसलिए आपत्ति कुर्रेजात वादीगण व प्रतिवादी संख्या 3 को अस्वीकार किया जाता है। ऐसे में प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार कि जाती है।

अतः दावा वादीगण मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट इस प्रकार डिक्री किया जाता है। तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि वादग्रस्त आराजियात में राजकीय भूमि की सीमा को ध्यान में रखते हुये वादीगण एवं प्रतिवादीगण का अलग–अलग खाता व लगान कायम किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें। निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 25.02.2011 व तद्नुरूप प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। कुर्रेजात रिपोर्ट नक्शा ट्रेस इस निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। इस आशय की पर्चा डिक्री दिनांक 19.01.2021 को जारी की गई। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम होकर दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2021.07.30 14:09:13 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

अन्तिम डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

आज अदालत सहायक कलक्टर जयपुर शहर (द्वितीय) मुकाम जयपुर ब इजलास श्री विष्णु कुमार गोयल–। (आर.ए.एस.)

श्रीमती कानी देवी बनाम नाथी देवी वगै.

दावा अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी एक्ट बाबत् बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर – दावा/2018/25

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री विष्णु कुमार गोयल–। व हाजिरी वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि

दावा वादीगण मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट इस प्रकार डिक्री किया जाता है। तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि वादग्रस्त आराजियात में राजकीय भूमि की सीमा को ध्यान में रखते हुये वादीगण एवं प्रतिवादीगण का अलग–अलग खाता व लगान कायम किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें। निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 25.02.2011 व तदनुरूप प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। कुर्रेजात रिपोर्ट नक्शा ट्रेस इस निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा।इस आशय की डिक्री जारी की जाती है।

निज ..... मुबलिग ..... बाबत् .....

खर्चा इस मुकद्दमें में मय सूद बशरह ..... फीसदी सालाना आज की

तारीख से तारीख अदायगी तक ..... का अदा करें।

बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 05.03.2020 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत .....

सहायक कलक्टर

ओहदा ..... जयपुर शहर द्वितीय

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा		00	स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा		00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् इजराय		
बाबत् इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक			गवाहान		
मीजान		00			

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2021.07.30 14:09:13 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner